हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
पुनश्च — सत्यन से प्रासंगिक निर्णय/डिक्री में के लिए लिपिक ने आ गया जबकि निर्णय बाद स्थायी निषेधाज्ञा के लिए हुआ है अतः विस्तृत निर्णय/डिक्री पृथक से शामिल पत्रावली पत्रावली फैसल शुमार होकर नक्ल ले अर्ज की दाखिल दफ्तर हो। सभी शर्ते में लिखे हुए को निरस्त किया जाता और पुनश्च के बाद में लिखा हुआ शुद्ध है। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। [illegible]	

- 171 / 2023 उनवान रामी बनाम बद्रीलाल वगै0
कि:– 23.01.2025

नम्बर अहकाम की तामील

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(श्री मनोज कुमार मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :– 171 / 2023 निर्णय दिनांक :– 23.01.2025

उनवानी दावा:

रामी पत्नी करणा जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी सीतारामपुरा पोस्ट गांवडी तहसील देवली जिला टोंक राज0

–वादीगण–

बनाम

बद्रीलाल पुत्र देबीलाल जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी कासीर तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रतिवादी–

उपस्थिति :–

श्री बाबूलाल मीणा
अधिवक्ता वादी

एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
प्रतिवादीगण संख्या 1

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय / आदेश व प्राथमिक डिक्री पेश हुई। वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 101 खसरा नम्बर 139 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 140 / 314 रकबा 0.10 है0 कुल किता–2, कुल रकबा 0.26 है0 वाके ग्राम भींवड़ावास पटवार हल्का गांवड़ी तहसील देवली जिला टोक राजस्थान मे स्थित है। उक्त आराजी भूमि पर वादीया का लगातार निर्विवाद रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान मे भी काबिज है। उक्त आराजी भूमि से प्रतिवादी का किसी प्रकार से कोई संबंध व सरोकार नही है और ना ही कब्जा है। प्रतिवादी आये दिन वादीया के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न कर रहा है। उक्त आराजीयात से ही वादीया अपना भरण पोषण करती है। प्रतिवादी लड़ाकू झगड़ालू किस्म का बाहुबल वाला व्यक्ति है तथा वादीया को भूमि पर आने नही देता है तथा धमकी देता है कि यदि वादीया इस जमीन पर आयी तो जान से खतम कर दूंगा तथा वादीया के साथ अनहोनी घटना कारित करने पर आमादा रहता है। वादीया के महिला होने का नाजायज फायदा उठाकर वादीया की उक्त आराजी भूमि पर प्रतिवादी जबरन कब्जा करने की नियत से वादीया को अपनी भूमि हांकने जोतने नहीं देता है तथा वादीया जब प्रतिवादी को ओलभा देती है तो गाली गलोच व लड़ाई झगड़ा करता है तथा मारपीट पर उतारू रहता है। आज से 5 दिन पूर्व भी प्रतिवादी ट्रेक्टर लेकर आया और जबरन वादीया की भूमि पर कब्जा करने की नियत से हंकाई करने लगा। वादीया के मना करने पर प्रतिवादी गाली गलोच करने लगा तथा मारपीट पर उतारू हो गया तथा धमकी दी कि मैं तो जमीन पर कब्जा करूंगा, यदि तूने मना किया तो जान से खतम कर दूंगा। प्रतिवादी को उसके द्वारा किये जा रहे उक्त कृत्य से रोका जाना नितान्त आवश्यक है जिसके

लिये प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से हमेशा हमेशा के लिये पाबंद किया जावे कि वह स्वंय जरिये एजेंट नोकर, चाकर एवं अन्य पारिवारिक सदस्यो के वादीया की उक्त वर्णित आराजीयात पर जबरन कब्जा नही करे,वाधीया को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करे तथा वादीया के कब्जे काश्त, उपयोग उपभागे एवं फसल बोने, काटने, लाने ले जाने मे 'किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। यदि प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो वादीया अपने जायज हक व अधिकार से वंचित हो जावेगी तथा अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना किसी भी तरह से संभव नही होगा। वाव कारण आज से 5 दिन पूर्व उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी ट्रैक्टर लेकर आया और जबरन वादीया की भूमि पर कब्जा करने की नियत से हंकाई करने लगा। वादीया के मना करने पर प्रतिवादी गाली गलोच करने लगा तथा मारपीट पर उतारू हो गया तथा धमकी दी कि मैं तो जमीन पर कब्जा करूंगा, यदि तूने मना किया तो जान से खतम कर दूंगा तब से लगातार रूप से जारी बाद वर्णित आराजीयात श्रीमान के क्षेत्राधिकार मे होने से प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। उक्त याद पूर्ण कोर्ट फीस पर अंदर मियाद दो प्रतियों मे पेश है।

अतः वादीया की अधियाचना है कि :–

अ वाद बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादी बाबत स्थाई निषेधाज्ञा डिकी किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से हमेशा हमेशा के लिये पाबंद किया जाये कि वह स्वंय जरिये एजेंट नोकर, चाकर एवं अन्य पारिवारिक सदस्यो के वादीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 101 खसरा नम्बर 139 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 140/314 रकबा 0.10 है0 कुल किता–2, कुल रकबा 0.26 है0 वाके ग्राम भींवड़ावास पटवार हल्का गांवड़ी तहसील देवली जिला टोक राज0 पर जबरन कब्जा नही करे, वादीया को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करे तथा वादीया के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग एवं फसल बोने, काटने, लाने ले जाने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें।

ब खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे तथा अन्य सहायता जो वादीया के हित मे लाभप्रद हो, प्रदान करवायी जावे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादी बावजूद असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र वादीया पी. डब्ल्यू–1 रामी पत्नी करणा जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी सीतारामपुरा पोस्ट गांवड़ी तहसील देवली जिला टोंक राज0 व पी. डब्ल्यू–2 रामलाल पुत्र श्री चन्द्राराम जाति बैरवा निवासी सीतारामपुरा पोस्ट गांवड़ी तहसील देवली जिला टोंक का पेश किया।

साक्ष्य पी. डब्ल्यू–1 दस्तावेज प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार है:–प्रदर्श–1 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत 2075–78 खाता संख्या 101 पेश किये।

प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने से जिरह निल रही ।

साक्ष्यवादी बंद की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद मीमो का ही दोहरान करते हुए कथन वादीया पक्ष डिक्री जारी करने की प्रार्थना की ।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत 2075–78 के अनुसार वादीया विवादित आराजी के खातेदार दर्ज रिकॉर्ड होने से वादीया के हितो व अधिकार का संरक्षण करना न्यायालय का कर्तव्य है तथा प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई है अर्थात प्रतिवादी को इस वाद बाबत कोई आपति नहीं है। वादीया राजस्व रिकॉर्ड मे खातेदार काश्तकार की हैसियत रखने के कारण प्रतिवादी को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की अधिकारीणी है। अतः वादीया का वाद स्वीकार योग्य है।

आदेश

वादीया का वाद स्वीकार योग्य पाये जाने से वाद वादीया स्वीकार किया जाता है। अतः प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से हमेशा हमेशा पाबन्द किया जाता है कि वह स्वंय जरिये एजेंट नोकर, चाकर एवं अन्य पारिवारिक सदस्यो के वादीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 101 खसरा नम्बर 139 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 140/314 रकबा 0.10 है0 कुल किता–2, कुल रकबा 0.26 है0 वाके ग्राम भींवड़ावास पटवार हल्का गांवड़ी तहसील देवली जिला टोक राज0 पर जबरन कब्जा नही करे, वादीया को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करे तथा वादीया के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग एवं फसल बोने, काटने, लाने ले जाने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 23.01.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली